भाग III

( संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

# प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें | 14 | नहीं |
| 15 | क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। | 15 | सहमत है। |
| 16 | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें | 16 | वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल ओ0गंज के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, ग्राम पंचायत खपरियाखापा में ब्राडबेन्ड कनेक्टिविटी हेतु सुल्तानपुर जोड़ से खपरियाखापा तक मार्ग के किनारे किनारे भूमिगत आप्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु रातापानी अभयारण्य की परिक्षेत्र बिनेका के वन कक्ष क्रमांक पी 727 ए एवं पी 727 बी की कुल 0.158 हेक्टेयर वनभूमि, आवेदक संस्थान बी.एस.एन.एल. भोपाल को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं। |

तिथि :— 16 .11. 2020

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रवीन्द्र सक्सेना )

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

16.11.20



Scanned with CamScanner

# कार्यालय वन वृत्त, भोपाल

74 बंगले, इंदिरा निकुंज खेल परिसर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक/माचि/ 2117

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबंध)
म0प्र0 भेपाल

विषयः– जिला रायसेन, वनमंडल ओ0गंज अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरियाखापा में ब्राडबेन्ड कनेक्टिविटी हेतु सुल्तानपुर जोड़ से खपरियाखापा तक मार्ग के किनारे किनारे भूमिगत आप्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु , 0.158 हेक्टेयर वनभूमि, बी.एस.एन. एल. भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।
**(आन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/43787/2020)**

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज का पत्र क्रमांक/माचि/2890 दिनांक 5/11/2020

–0–

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज ने संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल अंतर्गत ग्राम **पंचायत खपरियाखापा में ब्राडबेन्ड कनेक्टिविटी हेतु सुल्तानपुर जोड़ से खपरियाखापा तक मार्ग के किनारे किनारे भूमिगत आप्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु रातापानी अभयारण्य की परिक्षेत्र बिनेका के वन कक्ष क्रमांक पी 727 ए एवं पी 727 बी की 0.158 हेक्टेयर** वनभूमि, आवेदक संस्थान **बी.एस.एन.एल. भोपाल को उपयोग पर देने** के लिये, **वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव** इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र, Right of way हैं एवं कोई **वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।** प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र, एक हेक्टर से कम, होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना भी प्रस्तावित नहीं किया गया हैं। **परन्तु व्यपवर्तन हेतु प्रसतावित वनक्षेत्र रातापानी अभयारण्य की सीमा के अंदर हैं।**

अतः वनमडलाधिकारी सामान्य वनमंडल ओ0गंज द्वारा **प्रस्तुत प्रस्ताव, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु , सहमति सहित** अवलोकनार्थ एवं अगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार**

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2118

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. **DE Phone II & NOFN (Obedullaganj block) City Telephone Exchange Bharat sanchar Nigam limited Bhopal** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

16/11/20

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2020 .doc

Scanned with CamScanner